



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25062021-227898
CG-DL-E-25062021-227898

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2389]
No. 2389]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 25, 2021/आषाढ़ 4, 1943
NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 25, 2021/ASHADHA 4, 1943

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जून 2021

का.आ. 2580(अ).—केन्द्रीय सरकार, कराधान और अन्य विधि (कतिपय उपबंधों का शिथिलीकरण और संशोधन) अधिनियम 2020 (2020 का 38) (जिसे इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय(राजस्व विभाग) अधिसूचना संख्या 93/2020 तारीख 31 दिसंबर, 2020 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) का.आ. 4805(अ) तारीख

31 दिसंबर, 2020 द्वारा प्रकाशित और अधिसूचना सं. 10/2021 तारीख 27, फरवरी 2021, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) का.आ. संख्या 966 (अ) तारीख 27 फरवरी, 2021 द्वारा प्रकाशित तथा अधिसूचना सं. 20/2021 तारीख 31 मार्च 2021 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) का.आ. संख्यांक 1432(अ) तारीख 31 मार्च, 2021 द्वारा प्रकाशित तथा अधिसूचना सं. 38/2021 तारीख 27, अप्रैल 2021 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) का.आ. 1703(अ) तारीख 27 अप्रैल, 2021 (जिसे इसके पश्चात उक्त अधिसूचना कहा गया है) द्वारा प्रकाशित की गई थी, की अधिसूचनाओं में आंशिक संशोधन करते हुए, उक्त अधिनियम की उपधारा (1) का प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट करती है, कि—

(क) जहां विनिर्दिष्ट अधिनियम आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) है (जिसे इसके पश्चात आयकर अधिनियम कहा गया है) और,—

- (i) उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट किसी कार्रवाई की पूर्णता, किसी आदेश पारित करने से संबंधित है,-
- (क) आयकर अधिनियम के अधीन निर्धारण अथवा पुनःनिर्धारण के लिए और उसकी धारा 153 अथवा 153ख के अधीन ऐसी कार्रवाई को पूर्ण करने की समय सीमा जो 30 जून, 2021 को समाप्त हो रही है उक्त अधिसूचनाओं के द्वारा इसकी समय-सीमा आगे बढ़ाकर 30 सितंबर, 2021 कर दी गई है।
- (ख) आयकर अधिनियम के अध्याय XXI के अधीन शास्ति लगाने के लिए,-
- (i) 29 सितंबर, 2021 उस अवधि की अंतिम तारीख होगी जिसके दौरान उसमें विनिर्दिष्ट समय सीमा तय की गई है, अथवा आयकर अधिनियम के अधीन ऐसी कार्रवाई को पूर्ण करने के लिए विहित या अधिसूचित की गई है।
- (ii) 30 सितंबर, 2021 वह अंतिम तारीख होगी जो ऐसी कार्रवाई को पूरा करने की समय सीमा को बढ़ाकर कर दिया जाएगा।
- (ii) उक्त अधिनियम की धारा 3 उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट किसी कार्रवाई का अनुपालन आयकर अधिनियम की धारा 139कक की उपधारा (2) के अधीन विहित प्राधिकारी की आधार संख्या सूचित करने के संबंधित है, और ऐसे कार्रवाई को पूरा करने की समय सीमा आगे बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 कर दिया जाएगा।
- (ख) जहां विनिर्दिष्ट अधिनियम वित्त अधिनियम, 2016 (2016 का 28)(जिसे इसके पश्चात वित्त विधेयक कहा गया है) का अध्याय VIII है, और उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट किसी कार्रवाई को पूर्ण करना वित्त अधिनियम की धारा 168 की उपधारा (1) के अधीन सूचना भेजने से संबंधित है और ऐसी कार्रवाई को पूर्ण करने की समय सीमा 30 जून, 2021 को समाप्त हो रही है, उक्त अधिसूचनाओं द्वारा आगे बढ़ाकर 30 सितंबर, 2021 कर दी जाएगी।

[अधिसूचना सं. 74/2021/फा.स 370142/35/2020टीपीएल]

शेफाली सिंह, अवर सचिव (कर नीति व विधान)

टिप्पण : मुख्य अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, धारा 3, उपधारा (ii) का.आ. संख्यां 805(अ) तारीख 31 दिसंबर, 2020 को प्रकाशित की गई थी और का.आ. संख्यां 1703(अ) तारीख 27 अप्रैल, 2021 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया ।